राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

क्रमांक प. 9(79)राज–6/2007/13 जयपुर, दिनांकः–18.5.2007

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान में डी.बी. अपील संख्या 1536/03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि तथा जलप्रवाह व जल संग्रहण क्षेत्र की भूमि के आवंटन पर प्रतिबंध लगाया है। राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि शहीदों का अंतिम संस्कार प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि पर कर दिया गया है एवं अब वहां पर स्मारक बनाना प्रस्तावित है परन्तु प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने से स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं होने से शहीद परिवार एवं समाज की भावना को ठेस पहुंचती है।

अतः आपके जिले में ऐसा कोई प्रकरण हो तो उसकी सूचना राजस्व(ग्रुप–6)विभाग को भिजवाने का कष्ट करें ताकि उन्हें संकलित कर माननीय उच्च न्यायालय में अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सके। भविष्य में इस संबंध में राजस्व कर्मचारीगण को पाबन्द कर यह सुनिश्चित किया जावे कि उक्त प्रकार की प्रतिबन्धित भूमि मे किसी भी शहीद का अंतिम संस्कार न हो।

आज्ञा से,

18/5/07
(के.जी. अग्रवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय राजस्व मंत्री जी।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
4. शासन सचिव, सैनिक कल्याण विभाग।
5. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग।
6. उप विधि परामर्शी, राजस्व(ग्रुप–7)विभाग।
7. उप शासन सचिव, सैनिक कल्याण विभाग।

18/5/07
शासन उप सचिव